



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी संख्या - 3151 वर्ष 2026

श्रीमती सफिया खातून

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: रणजीत सोनकर

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् नायब तहसीलदार, तहसील दक्षिणी फूलपुर, जिला फूलपुर द्वारा दिनांक 06.10.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।
2. प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता को यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 की उपधारा (2) के तहत अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

26 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"